

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमती सुरजमनी देवी / सुरजमनिया देवी पति स्व. बंशी महतो / बंशी यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनांक.10.5.2003 एवं SO No. 2832 दिनांक. 30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 32, 55 एवं 61 के अधीन प्लॉट सं. 472, 478, 566, 647, 685, 703, 752 & 777; कुल रकबा 1.525 एकड़भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रियाकीगयी है।

- क. ऊपर उल्लेखित खाता स. 32, प्लॉट न. 472,566,647,752, एवं 777 जिसका रकबा 0.08 एकड़, 0.08 एकड़, 0.04 एकड़, 0.04 एकड़, और 0.12 एकड़ है जिसे केवाला स. 16264 दिनांक 25.7.1975 के माध्यम से श्रीमती सुरजमनी देवी पति वंशी महतो के द्वारा रामेस्वर महतो पिता गणपत महतो से खरीदगी की गयी थी।
- ख. ऊपर उल्लेखित खाता स. 55, प्लॉट न. 685 एवं 478 जिसका रकबा 0.20 एकड़, एवं 0.10 एकड़ है जिसे केवाला स. 16263 दिनांक 25.7.1975 के माध्यम से श्रीमती सुरजमनी देवी पति वंशी महतो द्वारा सहदेव गंडू पिता लालु गंडू से खरीदगी की गयी थी।
- ग. ऊपर उल्लेखित खाता स. 55, प्लॉट न. 685 जिसका रकबा 0.555 एकड़, है जिसे केवाला स. 18846 दिनांक 13.12.1973 के माध्यम से श्रीमती सुरजमनी देवीपति वंशी महतो द्वारा मो. बिलिया गंडुनी पति बौना गंडू से खरीदगी की गयी थी।
- घ. ऊपर उल्लेखित खाता स. 61, प्लॉट न. 703 जिसका रकबा 0.31 एकड़, है जिसे केवाला स. 3545 दिनांक 11.7.1974 के माध्यम से श्रीमती सुरजमनी देवीपति वंशी यादव द्वारा आसवा गंडुनी पति दयालीगंडू,वालीजेठु गंडूपितादयालीगंडूसे खरीदगी की गयी थी

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50; जिला :- चतरा, खाता सं. 32, 55 एवं 61 के अधीन प्लॉट सं. 472, 478, 566, 647, 685, 703, 752 एवं 777 कुल रकबा - 1.525 एकड़ रैयती भूमि, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्रीमती सुरजमनी देवी/सुरजमनिया देवी पतिस्व. बंशी महतो / बंशी यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

(sd/-)

महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व),  
सी.सी.एल, राँची

